बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अपनी मध्यप्रदेश सरकार का लगातार दसवाँ वार्षिक बजट इस गरिमामयी सदन में प्रस्तुत करते हुए आज मैं रोमांचित हूँ। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अवधि में हमने प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य बदलने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। देश के एक प्रख्यात साहित्यकार के शब्द थे ''चाँदनी उस रुपये सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है''। मैं अत्यंत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की आज की वित्तीय स्थिति में चमक भी है और खनक भी। अब मध्यप्रदेश का संबोधन बीमारू और पिछड़े प्रदेश के स्थान पर विकासशील प्रदेश के रूप में सर्वत्र होने लगा है।

चूंकि प्रदेश में लगातार दस वर्षों से एक ही सरकार है तथा तेरहवीं विधान सभा का यह अंतिम बजट सत्र है अतः मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ कि इस अवधि का लेखा-जोखा इस सदन के माध्यम से प्रदेश की मालिक सवा सात करोड़ जनता तक पहुँचाऊँ। इसी दृष्टि से वर्ष 2013-14 के वार्षिक बजट के साथ अति संक्षेप में प्रमुख वित्तीय आर्थिक मानकों पर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति क्या बनी है वह प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. वर्ष 2013-14 में कुल विनियोग की राशि ₹ 1,02,447 करोड़ अनुमानित है। वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जहां ₹ 1,02,839 करोड़ था वह वर्ष 2013-14 में 4 गुना बढ़कर ₹ 4,09,877 करोड़ अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 2003-04 की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़कर

वर्ष 2012-13 में ₹ 43,864/- अनुमानित है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जहां 2002-03 में ऋणात्मक (-) 4.01 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2011-12 में बढ़कर धनात्मक (+) 11.81 प्रतिशत रही है। पिछले पाँच वर्षों की औसत आर्थिक विकास दर लगभग 10 प्रतिशत रही है।

3. वर्ष 2003-04 में राज्य के स्वयं के करों से ₹ 6,805 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई थी जबकि 2013-14 में यह लगभग 5 गुना बढ़कर ₹ 33,381 करोड़ अनुमानित है। केन्द्रीय करों में राज्य का संवैधानिक अंश ₹ 23,694 करोड़ इसके अतिरिक्त है।

4. वर्ष 2013-14 में आयोजना व्यय का अनुमान ₹ 37,608 करोड़ है जो कि वर्ष 2003-04 के आयोजना व्यय ₹ 5,684 करोड़ की तुलना में 6 गुने से ज्यादा है और कुल व्यय की तुलना में 26.26 प्रतिशत से बढ़कर 40.90 प्रतिशत अनुमानित है।

5. वर्ष 2013-14 में कुल पूंजीगत परिव्यय ₹ 17,558 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2003-04 के ₹ 2,883 करोड़ की तुलना में 6 गुने से अधिक है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.80 प्रतिशत से बढ़कर 4.28 प्रतिशत अनुमानित है।

6. प्रदेश लगातार नौवें वर्ष राजस्व आधिक्य बनाये रखने में सफल रहा है। वर्ष 2003-04 में राजस्व घाटा (-) ₹ 4,475 करोड़ था अब वर्ष 2013-14 में राजस्व आधिक्य (+) ₹ 5,215 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2003-04 में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.12 प्रतिशत था जो वर्ष 2013-14 में मात्र 2.98 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

7. वर्ष 2003-04 में कुल ऋण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.71 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 22.50 प्रतिशत एवं शुद्ध ऋण राज्य के सकल घरेलू

उत्पाद का 31.18 प्रतिशत से घटकर मात्र 14.25 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2003-04 में ब्याज भुगतान ₹ 3,206 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में ₹ 6,518 करोड़ अनुमानित है जो मात्र दुगुना ही है जबकि कुल व्यय का आकार चार गुने से ज्यादा प्रावधानित है। यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 22.44 प्रतिशत से घटकर मात्र 8.19 प्रतिशत अनुमानित है।

हाथ ढलते गये साँचे में तो थकते कैसे
नक्श के बाद नये नक्श निखारे हमने।
की ये दीवार बलंद, और बलंद, और बलंद
बामोदर और जरा और सँवारे हमने।

"कैफ आजमी"

भाग-एक (क)

कृषि सेक्टर

8. हमारे देश में सदियों से व्यवसायों में 'उत्तम कृषि' कहा जाता रहा है किंतु कालांतर में कृषि निरंतर अलाभकारी होती रही जिससे किसानों की आर्थिक दशा बिगड़ती रही तथा वह कर्जग्रस्त होता रहा। हमारी सरकार ने इस स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर पुनः 'उत्तम' के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा और हमारे मुख्यमंत्री ने 'खेती को लाभकारी' बनाने का संकल्प लिया जो अब फलीभूत हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में किए गए सार्थक प्रयासों का परिणाम सदन के सामने है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव तथा प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2011-12 में प्रदेश की कृषि क्षेत्र में विकास दर 18.89 प्रतिशत रही है। जहां वर्ष 2002-03 में समग्र कृषि उत्पादन 142.45 लाख मेट्रिक टन था वहीं वर्ष 2011-12 में यह 302.12 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। यह वृद्धि 112 प्रतिशत है।

9. पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने देश को एक नारा दिया 'हर हाथ को काम और हर खेत को पानी' हमारी सरकार ने इसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर अर्थव्यवस्था का मूल आधार माना। इसी में से 'खेत तालाब' और 'बलराम तालाब' योजनाओं का जन्म हुआ। वर्ष 2003-04 में सिंचाई सुविधा हेतु ₹ 1,090 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें 4 गुने से ज्यादा की वृद्धि की जाकर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,675 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह हमारी सरकार की खेती को लाभ का धंधा बनाने के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पिछले वर्ष बजट भाषण में मैंने अतिरिक्त रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की प्राथमिकता का उल्लेख किया था उसी के अनुक्रम में बेहतर

प्रबंधन एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2012-13 के रबी सीजन में रिकार्ड 25 लाख हेक्टेअर से अधिक रकबे में सिंचाई की गई है। वर्ष 2013-14 में 1,80,000 हेक्टेअर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी तथा 2 वृहद एवं 10 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

10. किसानों की आदान लागत कम करने के लिए सिंचाई हेतु ऊर्जा की खपत में राज्य शासन द्वारा सहायता प्रदान की जाती रही है। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंचाई हेतु लगाए जाने वाले बिजली पंपों को बिजली फ्लेट रेट पर ₹ 1,200 प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से दी जाएगी जिसकी वसूली वर्ष में दो बार फसल मौसम के पश्चात की जाएगी। इसके लिए राजसहायता के रूप मे वर्ष 2013-14 में ₹ 1,700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

11. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र लोगों के लिए पांच हार्स पावर तक के कृषि पम्पों एवं एकल बत्ती उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए राजसहायता के रूप में वर्ष 2013-14 में ₹ 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

12. कृषि कार्यों के लिए न्यूनतम 8 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए फीडर विभक्तिकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2013-14 में इस योजना के अंतर्गत कुल अनुमानित निवेश ₹ 3,000 करोड़ है। इसके तहत प्रदेश के सभी ग्रामों में घरेलू उपयोग हेतु "अटल ज्योति अभियान" अंतर्गत वर्ष 2013 तक 24 घंटे विद्युत प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जबलपुर एवं मंडला जिलों में 24 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है।

13. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने का एतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस वर्ष ऋण वितरण ₹ 12,000 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है जो कि वर्ष 2003-04 में वितरित ऋण राशि ₹ 1,273 करोड़ की तुलना में 10 गुना है। ब्याज दरों में अंतर की पूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि पिछले वर्ष की प्रावधानित राशि ₹ 350 करोड़ की तुलना में 43 प्रतिशत ज्यादा है।

14. हमारी सरकार की कृषकहितैषी नीतियों के फलस्वरुप किसानों को उनकी उपज का पहले से बेहतर मूल्य मिल रहा है। हमने किसानों को उनकी उपज विक्रय पर अतिरिक्त लाभ दिलाए जाने हेतु गेहूँ उपार्जन पर दिए जा रहे बोनस ₹ 100/- प्रति क्विंटल को बढ़ाकर ₹ 150/- प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 1,050 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

15. सिंचाई जल के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने तथा जल के अपव्यय को रोकने के प्रयोजन से चलाए जा रहे राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन के लक्ष्यों में 5 गुना वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया जाकर इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 9 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

16. प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड क्षेत्र में आगामी तीन वर्षों में छिटका पद्धति को समूल समाप्त करने एवं कतार बोनी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल अनुदान पर दिए जाने हेतु वर्ष 2013-14 में पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है।

17. धान के क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु आगामी दो वर्षों में एस.आर.आई. पद्धति के शतप्रतिशत विस्तार हेतु उपयोग किए जाने वाले यंत्रों को अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराए जाने हेतु इस वर्ष बीस हजार कोनीवीडर एवं दस हजार मार्कर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

18. उत्पादन वृद्धि में बीजोपचार एवं बीज की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए शतप्रतिशत बीजोपचार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 2013-14 में बीस हजार सीड ट्रीटिंग ड्रम एवं बीस हजार स्पाइरल ग्रेडर की व्यवस्था की जाएगी।

19. मौसम की प्रतिकूलता के प्रभाव से सोयाबीन एवं दलहन फसलों को बचाने के लिए रिज-फरो पद्धति का विस्तार किए जाने हेतु वर्ष 2013-14 में 50 हजार रिज-फरो पंजे अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

20. हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में उचित दरों पर विभिन्न कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ कृषकों के साथ ही साथ कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित करने वाले युवा उद्यमियों एवं कृषि स्नातकों को भी प्राप्त होगा। वर्ष 2013-14 में 250 केन्द्र प्रारंभ करने के लिए ₹ 32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

21. फार्म मेकेनाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए यंत्रदूत योजना का विस्तार 89 आदिवासी विकासखण्डों में किया जाकर प्रथम चरण में इन विकासखण्डों के एक-एक गाँव में क्रियान्वयन किये जाने के लिए इस वर्ष ₹ 7 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

22. जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 12 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य, जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः ₹ 2 लाख,

₹ 50 हजार एवं ₹ 25 हजार का ''उत्कृष्ट जैविक कृषक'' पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

23. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के कृषकों को विश्व के विभिन्न देशों में की जा रही उन्नत खेती, जल प्रबंधन तकनीक, प्रसंस्करण तकनीक एवं विपणन व्यवस्था से रूबरू कराने हेतु ''मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना'' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

24. **उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण** के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 369 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 के प्रावधान ₹ 282 करोड़ की तुलना में 31 प्रतिशत ज्यादा है। कृषकों को उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट दर्जे का प्रशिक्षण देने के लिए सर्व सुविधायुक्त प्रशिक्षण केन्द्र कान्हासैया, भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कृषकों को सीमित रकबे में अधिक आय के साथ ही बेमौसम उद्यानिकी उत्पादों की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. प्रदेश के **पशुपालकों** को सुगम एवं समुचित पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2013-14 में 50 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं 123 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए ₹ 18 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में 62 आदिवासी विकासखण्डों में पशुपालकों को घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख किया था। इस

सुविधा का सभी 89 आदिवासी विकासखण्डों में विस्तार किया जाएगा। इसके लिये वर्ष 2013-14 में ₹ 7 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही ई-वेट परियोजना का विस्तार 2 अन्य जिलों में भी किया जाना प्रस्तावित है।

27. भोपाल में अल्प उत्पादन वाली मादा पशुओं से उच्च उत्पादन वंशावली के बछड़े एवं बछड़ियां तैयार किए जाने बाबत स्थापित की जा रही भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

28. पशुपालन के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरुप वर्ष 2012 में दुग्ध संघ के माध्यम से औसतन 7.35 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित किया गया है जो कि वर्ष 2011 की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।

29. भारतीय गौवंशीय नस्ल को बढ़ावा देने हेतु वत्स पालन प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

30. वर्ष 2013-14 से सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कोर-बैंकिग सुविधा प्रारंभ की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को आर. टी. जी. एस. के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में वित्तीय लेन-देन की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

31. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी संस्थाओं की दक्षता एवं व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013-14 में 14 और जिलों में ये परियोजनायें प्रारंभ की जाएंगी जिसके लिए ₹ 55 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

32. हमारी सरकार सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए दृढ़संकल्पित है। वर्ष 2013-14 में शेष बचे सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

33. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मेरे द्वारा कृषि उपज के समुचित भंडारण हेतु भंडारण के विस्तार की नवीन योजना का उल्लेख किया गया था। योजनांतर्गत 5 वर्षों में 500 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 300 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जाना है। इसके लिए सहकारी समितियों को निःशुल्क जमीन एवं निर्माण लागत का 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 12 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

34. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृषकों से खाद के अग्रिम भंडारण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही सहकारी समितियों द्वारा खाद के अग्रिम भंडारण हेतु देय गोदाम किराया एवं पूंजी पर लगने वाले ब्याज का भार शासन वहन करेगा। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 35 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में ₹ 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

36. हमने किसानों के हित में वन सीमा से लगे पाँच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित खेतों में कृष्णमृग एवं नीलगायों से हुई फसल हानि का मुआवजा भी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप प्रभावितों को देने का निर्णय लिया है।

37. हमारी सरकार **मत्स्य पालन** के विकास तथा मछुआरों के कल्याण के लिए दृढ़संकल्पित है। इसी अनुक्रम में प्रदेश के परंपरागत एवं वंशानुगत मछुआरों के कल्याण

एवं विकास संबंधी विषयों पर सुझाव देने हेतु ''मछुआ कल्याण बोर्ड'' का गठन किया गया है। मत्स्य पालन के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 74 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 की प्रावधानित राशि ₹ 61 करोड़ से 21 प्रतिशत ज्यादा है। हमारी सरकार द्वारा किसानों की भांति पट्टाधारी मछुआरों एवं मत्स्य महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में मत्स्य पालन की आधुनिक एवं उन्नत तकनीक का विस्तार करने एवं युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में पृथक से मत्स्य संकाय प्रारंभ किया गया है।

38. इसके अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण आदि की योजनाएं जिनमें प्रमुख रूप से कृषि सेक्टर लाभान्वित होता है के लिए भी पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है।

है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में,
खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।

''रामधारी सिंह दिनकर''

भाग-एक (ख)

ऊर्जा

39. ऊर्जा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 8,856 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 के प्रावधान ₹ 7,710 करोड़ की तुलना में ₹1,146 करोड़ अधिक है।

40. प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष 2013-14 में राज्य की अंशपूंजी के रूप में ₹ 405 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

41. वर्ष 2004 से दिसम्बर 2012 की अवधि में उपलब्ध विद्युत क्षमता में 5,033 मेगावाट की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 1994 से 2004 की अवधि में मात्र 1,162 मेगावाट की वृद्धि हुई थी।

42. सदन द्वारा पारित संकल्प-2010 के अनुक्रम में विद्युत वितरण में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए पारेषण एवं उप-पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 2,681 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि प्रदेश में पारेषण हानियाँ अब मात्र 3.5 प्रतिशत रह गई हैं जो पूरे देश में न्यूनतम है।

43. सदन द्वारा पारित संकल्प-2010 के अनुक्रम में अपरंपरागत ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 29 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2013-14 तक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कुल 1,600 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता लक्षित है।

सड़क

44. हमारी सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण, उन्नयन तथा रखरखाव के लिए बजट प्रावधानों में सतत वृद्धि की जाकर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 1993-94 से वर्ष 2003-04 तक की दस वर्ष की अवधि में लोक निर्माण विभाग को ₹ 2,907 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी जबकि पिछले नौ वर्षों में ₹19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2013-14 में सड़कों के विकास के लिए कुल ₹ 4,970 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह हमारी सड़क जैसी मूलभूत अधोसंरचना के विकास की प्राथमिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

45. हमारी सरकार द्वारा पिछले नौ वर्षों में 90,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। हमने राज्य के संसाधनों के साथ ही साथ प्रदेश में निवेशोन्मुखी वातावरण के फलस्वरुप निजी क्षेत्र की अनुकरणीय भागीदारी भी सुनिश्चित करते हुए सड़कों के विकास का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

46. लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में 5,593 किलोमीटर लंबी सड़कों, 56 वृहद तथा मध्यम पुलों एवं 20 रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत गठित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से वर्ष 2013-14 में एक हजार भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

47. प्रदेश के ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक 1,200 ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का

कार्य आगामी दो वर्षों में पूर्ण किया जा सकेगा। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 501 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

48. राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायत राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2013-14 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए ₹ 7,444 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस वर्ष भी प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की भांति पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से नाली सहित आंतरिक सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु ₹ 1,463 करोड़ उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

49. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत एक लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनांतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 35 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पेयजल

50. वर्ष 2013-14 में जल आपूर्ति के लिए कुल ₹ 1,743 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 1,449 करोड़ की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2013-14 में 11,400 बसाहटों में नलकूप खनन द्वारा एवं 1,800 बसाहटों में नलजल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इसके साथ ही 5,794 आँगनबाड़ियों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल के स्तर को बनाए रखने हेतु भूजल संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,800 भूजल पुनर्भरण संरचानाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

51. वर्ष 2013-14 में फ्लोराइड आदि कारणों से गुणवत्ता प्रभावित 1,350 बसाहटों में वैकल्पिक स्रोतों पर आधारित जलप्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

52. हमारी सरकार द्वारा सतही स्रोत आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में पूंजी निवेश के लिए ₹ 15 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

53. हमारी सरकार द्वारा एतिहासिक निर्णय लेते हुए ₹ 432 करोड़ लागत की ''नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक'' परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इससे न केवल देवास एवं उज्जैन शहरों के लिए पेयजल तथा उद्योगों के लिए जल उपलब्ध होगा अपितु क्षिप्रा नदी के तटवर्ती ग्रामों में भी वर्षभर जल उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही वर्ष 2016 के सिंहस्थ के दौरान तीर्थयात्रियों को स्नान के लिए स्वच्छ जल भी उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे एक वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

नगरीय निकाय

54. नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 5,168 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2003-04 में प्रावधानित राशि ₹ 722 करोड़ की तुलना में 7 गुने से अधिक है।

55. प्रदेश के नगरों के समग्र एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए पिछले बजट भाषण में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन प्रारंभ करने एवं उनके लिए समुचित प्रावधान का उल्लेख किया गया था। इन तीनों योजनाओं के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 258 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

56. डी.एफ.आई.डी. द्वारा सहायित मध्यप्रदेश गरीबोन्मुखी शहरी सेवा कार्यक्रम में संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए द्वितीय चरण के रूप में डी.एफ.आई.डी. के सहयोग से लगभग ₹ 220 करोड़ लागत की मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 48 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

57. नगरीय क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता बनाये रखने के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त नवीन योजना के रूप में नगरीय क्षेत्रों एवं इनके समीप स्थित जल संरचनाओं के लिए "झीलों तथा तालाबों के संरक्षण एवं विकास की योजना" प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

58. नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए निकायों में वित्तीय सुधार, प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस सुधार, संपत्तिकर एवं उपभोक्ता प्रभार में सुधार इत्यादि शहरी सुधार कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2013-14 से ''शहरी सुधार कार्यक्रम'' नामक नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके लिए आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

59. नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के लिए नगर प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, सुशासन इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंध संस्थान, भोपाल का गठन किया गया है। इस संस्थान के लिए वर्ष 2013-14 में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

60. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित हेरीटेज स्मारकों, स्थलों एवं भवनों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु वर्ष 2013-14 में नई योजना प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

61. शहरी गरीबों एवं परंपरागत व्यवसाय से जुड़े तबके के कल्याण एवं उत्थान के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हाथठेला एवं साईकल रिक्शा चालकों, घरेलू कामकाजी महिलाओं तथा शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही वर्ष 2013-14 से केशशिल्पियों के कल्याण की योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

62. सदन द्वारा पारित संकल्प-2010 के अनुक्रम में इंदौर तथा भोपाल शहरों में मेट्रो रेल प्रारंभ किए जाने के लिए प्री-फिजीबिलिटी सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाकर विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

63. नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नगरीय निकायों को "वाल्मीकि पुरस्कार" प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर निगम को ₹ 1 करोड़, नगर पालिका को ₹ 50 लाख एवं नगर परिषद को ₹ 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही इन पुरस्कार प्राप्त नगरीय निकायों के सफाई कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को उनके एक माह के वेतन के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि पुरस्कार स्वरुप प्रदान की जाएगी।

64. हमारी सरकार द्वारा सिंहस्थ-2016 के आयोजन के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं अधोसंरचनाओं के विकास के लिए पिछले दो वर्षों से आवश्यक प्रावधान रखा जा रहा है। इसी तारतम्य में वर्ष 2013-14 में भी सिंहस्थ-2016 के लिए ₹ 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 107 करोड़ से 40 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग

65. हमारी सरकार कृषि के साथ ही साथ उद्योग तथा सेवा के क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश के समग्र विकास को समुचित गति दी जा सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग क्षेत्र के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 907 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 647 करोड़ से 40 प्रतिशत

अधिक है। प्रस्तावित प्रावधान में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के लिए ₹ 340 करोड़ शामिल है।

66. उद्योग संवर्धन नीति, 2010 को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने हेतु इसमें आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इंदौर में आयोजित ''ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट'' अत्यधिक सफल रही है। इसमें ₹ 3.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके क्रियान्वन से 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।

67. मेगा प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति'' का गठन किया गया है।

68. प्रदेश में औद्यौगिक अधोसंरचना के विस्तार तथा उन्नयन हेतु ₹ 566 करोड़ की लागत से 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश में इंदौर-भोपाल, भोपाल-बीना, जबलपुर-कटनी, सतना-सिंगरौली, मुरैना-ग्वालियर एवं शिवपुरी-गुना औद्यौगिक कारीडोर विकसित किए जा रहे हैं।

69. दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में पीथमपुर-धार-महू इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना हेतु पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

70. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के नवगठित 12 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

71. युवाओं के लिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु वर्ष 2013-14 से ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' प्रारंभ की जा रही है। योजनान्तर्गत बैंकों से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त हो सके इसके लिए प्रकरणों में लगने वाली गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ₹ 50 हजार तक के ऋण प्रकरणों में गारंटी शुल्क के साथ ही ₹ 10 हजार तक की मार्जिन मनी तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ₹ 50 हजार से ₹ 25 लाख तक के ऋण प्रकरणों में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 50 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाना लक्षित है। योजना के लिए ₹ 54 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

72. एम.एस.एम.ई. सेक्टर में प्रति इकाई लागत सर्वाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने वाली प्रथम तीन इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः ₹ 5 लाख, ₹ 3 लाख एवं ₹ 2 लाख का ''दत्तोपंत ठेंगड़ी पुरस्कार'' प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

73. हमने हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिल्पियों को ''विश्वकर्मा पुरस्कार'' प्रदान करने का निर्णय लिया है।

''भगवान पोथी पुराणों में नहीं, धार्मिक पुस्तकों में नहीं, गरीबों में है। क्या सभी कमजोर, सभी पीड़ित भगवान नहीं हैं? तुम उनकी पूजा पहले क्यों नहीं करते?''

''स्वामी विवेकानंद''

<u>शिक्षा</u>

74. वर्ष 2013-14 में शिक्षा के लिए ₹ 13,763 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 12,119 करोड़ से ₹ 1,644 करोड़ ज्यादा

है। "अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के तहत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों का कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। मध्यप्रदेश पूरे देश में इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। अब तक इस प्रावधान के अंतर्गत 2,65,000 बच्चों का दाखिला दिलाया गया है जिनके लिए ₹ 71 करोड़ की राशि फीस प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।

75. सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत दूरस्थ अंचलों में बसे ऐसे परिवार के बच्चों को जहाँ पड़ोस की बसाहट में स्कूल सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें परिवहन सुविधा प्रदाय कराए जाने के लिए आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

76. उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए रोजगार मूलकता एवं उपलब्ध अवसरों को बढ़ाने हेतु 50 एम. ई. एस. (माड्यूलर इम्प्लायेबल स्किल्स) कोर्स का चयन किया गया है। वर्ष 2013-14 में इसके लिए ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

77. हमारी सरकार ने "गाँव की बेटी" एवं "प्रतिभा किरण" योजनाओं का लाभ अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है।

78. उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय किए जाने के लिए प्रति विद्यार्थी प्रावधानों में वृद्धि की जाकर पुस्तक हेतु ₹ 1,500/- एवं स्टेशनरी हेतु ₹ 500/- की दर से वर्ष 2013-14 में ₹ 12 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शोधकार्य हेतु प्रेरित करने के लिए पी.एच.डी. शोध छात्रवृत्ति दोगुनी की जाकर ₹ 8,000/- प्रतिमाह के स्थान पर ₹ 16,000/- प्रतिमाह की गई है।

80. नौगाँव जिला छतरपुर में नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2013-14 के शैक्षणिक सत्र से इस महाविद्यालय में पठन-पाठन प्रारंभ हो जाएगा, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही देवसर जिला सिंगरौली, कसरावद जिला खरगौन, पाटन जिला जबलपुर एवं मझगवां जिला सतना में नवीन शासकीय आई.टी.आई. भी प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

81. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थियों की शिष्यवृत्ति ₹ 140/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 235/- प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है।

82. समस्त शासकीय इंजीनियरिंग एवं पालीटेकनिक महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए वर्ष 2013-14 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

83. प्रदेश में उद्योगों की हाई-टेक कौशल विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं को उच्च तकनीक क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए मल्टीस्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य

84. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा लगातार निवेश किया जा रहा है एवं प्रतिवर्ष प्रावधानों में सतत रूप से वृद्धि की गई है। वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य क्षेत्र के

लिए ₹ 4,147 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 के प्रावधान ₹ 3,596 करोड़ से ₹ 551 करोड़ अधिक है।

85. स्वास्थ्य अधोसंरचना में सुधार की प्रक्रिया आगामी वर्षों में निरंतर रखी जाएगी। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था कि संजीवनी-108 एम्बुलेन्स सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा, उसी अनुक्रम में वर्ष 2012-13 में 502 वाहन जोड़े जा रहे हैं एवं वर्ष 2013-14 में 100 अतिरिक्त वाहन इस सेवा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ताकि दूरस्थ क्षेत्र के नागरिकों को भी समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। हमारी सरकार ने उन 42 जिलों में जहां पर हीमोडायलिसिस की सुविधायें निजी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है वहां के जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

86. प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के उद्देश्य से 10 जिलों क्रमशः देवास, मंदसौर, विदिशा, रायसेन, झाबुआ, सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सतना एवं सिवनी में जी.एन.एम. स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त बालाघाट में युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से नर्सिंग संस्था की स्थापना भी प्रस्तावित है।

87. नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान दिए जा रहे स्टाईपेण्ड ₹ 1,500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ए.एन.एम. को ₹ 2,500/-, जी.एन.एम. को ₹ 3,000/- एवं बी.एस.सी. नर्सिंग की प्रशिक्षणार्थियों को ₹ 3,500/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

88. नागरिकों का चिकित्सा सेवाओं पर खर्च कम करने की दृष्टि से हमारी सरकार ने "सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना" प्रारंभ की है। इस योजना के तहत वर्तमान में 147 अत्यावश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है जिसे बढ़ाकर 454 दवाओं तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। योजना अंतर्गत दो लाख से अधिक मरीजों को प्रतिदिन निःशुल्क दवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

89. हमारी सरकार ने निःशुल्क दवाओं के साथ-साथ निःशुल्क जाँच सुविधा भी प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में प्रारंभ की है। इस योजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों में 64, जिला अस्पतालों में 48, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 28, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 16 तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आरोग्य केन्द्रों के स्तर पर 5 तरह की पैथोलाजी की जाँचें निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। जिन संस्थाओं में सोनोग्राफी, एक्स-रे, ई.सी.जी., ई.ई.जी. इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है उन संस्थानों में ये सुविधायें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

90. "दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना" के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 तक 40 लाख से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने के परिणामस्वरुप इस योजना के तहत अब नागरिकों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हो सकेंगी।

91. हमारी सरकार जहां एक ओर निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जाँच की योजनाओं के द्वारा नागरिकों को बेहतर एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है वहीं मरीजों को अच्छा आहार मिले इसको भी ध्यान में रखा है। इसी चिन्ता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालयों में भरती मरीजों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से

प्रति मरीज व्यय की सीमा ₹ 30/- से बढ़ाकर ₹ 40/- किए जाने का निर्णय लिया गया है।

92. हमारी सरकार प्रदेश में चिकित्सकों एवं स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 1,416 चिकित्सक, 2,000 स्टाफ नर्स एवं 900 पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है जिसे वर्ष 2013-14 में पूर्ण कर लिया जाएगा।

93. वर्ष 2013-14 में राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में अत्याधुनिक जांच उपकरण एवं मशीनें स्थापित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

<u>महिला एवं बाल विकास</u>

94. हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के सतत एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 5,106 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 की प्रावधानित राशि ₹ 4,036 करोड़ से 26 % अधिक है।

95. प्रदेश की 80 लाख से ज्यादा महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पोषण आहार योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 में ₹ 1,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

96. आई.सी.डी.एस. योजना के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 से इसे मिशन मोड में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार कुपोषण को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य

एवं पोषण मिशन के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों धार, सागर, सतना एवं खण्डवा के चयनित विकासखण्डों में प्रतिदिन एक पूर्ण आहार गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रदाय करने का निर्णय लिया है।

97. लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 850 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 650 करोड़ से 30 प्रतिशत अधिक है।

98. वर्ष 2013-14 में आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु ₹ 111 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही भवनों के अनुरक्षण के लिए भी ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

99. हमारी सरकार ने "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" में निहित भावना के अनुरूप महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर "अहिल्यादेवी महिला सम्मान पुरस्कार योजना" प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में आवश्यक प्रावधान रखा गया है।

100. महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए हमारी सरकार अत्यधिक सजग एवं संवेदनशील है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

101. हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ सदैव तत्पर रही है एवं इसके लिए सतत रुप से बजट प्रावधानों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए ₹ 11,797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 के प्रावधान ₹ 10,350 करोड़ की तुलना में ₹ 1,447 करोड़ अधिक है।

102. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हमारी सरकार ने राहत राशि में दोगुने से ज्यादा वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अत्याचार प्रकरणों में परिवार के कमाने वाले सदस्य की शत प्रतिशत असमर्थता, हत्या अथवा मृत्यु होने पर वर्तमान में देय राहत राशि ₹ 2 लाख को बढ़ाकर ₹ 5 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है।

103. हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय एवं स्वशासी महाविद्यालयों के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटाप प्रदाय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 14 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

104. वर्ष 2013-14 में आदिवासी विकासखण्डों में 40 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, 20 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों एवं 20 अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक स्तर की आश्रम शालाओं का माध्यमिक स्तर की शालाओं में उन्नयन तथा 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर खोला जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा 20 उच्चतर

माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त संकाय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही नवीन 20 पोस्टमैट्रिक छात्रावास, 10 प्रीमैट्रिक छात्रावास एवं 10 आश्रम शालायें भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

105. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 2 नवीन क्रीड़ा-परिसर श्योपुर एवं जबलपुर में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। क्रीड़ा-परिसर में निवासरत खिलाड़ियों को दैनिक भोजन व्यय की दर ₹ 25/- से बढ़ाकर ₹ 100/- प्रतिदिन एवं खेलकिट प्रति खिलाड़ी ₹ 850/- से बढ़ाकर ₹ 3,000/- किए जाने का निर्णय लिया गया है।

106. वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 119 नवीन छात्रावासों की स्थापना एवं वर्तमान में संचालित छात्रावासों में तीन हजार सीटों की वृद्धि प्रस्तावित है।

107. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के कल्याण के लिए हमारी सरकार द्वारा गत वर्ष पृथक विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2013-14 में इनके कल्याण हेतु ₹ 24 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

<u>पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण</u>

108. हमारी सरकार द्वारा पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए बजट प्रावधानों में सतत रूप से वृद्धि की गई है। इन वर्गों के कल्याण एवं उत्थान हेतु वर्ष 2013-14 में ₹749 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 548 करोड़ से 37 प्रतिशत अधिक है।

109. पिछड़े एवं अल्प संख्यक वर्ग के कल्याण एवं उन्नयन के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए इन वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न

योजनाओं की पृथक से मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में पृथक से जिला कार्यालय प्रारंभ किए गए हैं एवं उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं।

सामाजिक न्याय

110. हमारी सरकार निःशक्तजनों, वृद्धों एवं निराश्रित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। सामाजिक न्याय विभाग के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 1,397 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹ 1,065 करोड़ की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।

111. विकासखण्ड स्तरीय अन्त्योदय मेलों के आयोजन से जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी आयी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पिछले वर्ष की भांति इन मेलों का आयोजन वर्ष 2013-14 में भी विकासखण्ड स्तर तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए ₹ 17 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

112. ''मुख्यमंत्री कन्यादान योजना'' एवं ''मुख्यमंत्री निकाह योजना'' की सफलता के मद्देनजर वर्ष 2013-14 में इन योजनाओं के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 की प्रावधानित राशि ₹ 60 करोड़ की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है।

113. हमारी सरकार द्वारा निःशक्त वर्ग के लोगों के लिए शासकीय सेवा में आरक्षित पदों में से रिक्त पदों को चिन्हांकित किया जाकर उनके भरने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जा रही है। परिणाम सदन के सामने है। राष्ट्रपति जी द्वारा

निःशक्तजनों के नियोक्ता के रुप में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

114. हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र कल्याण एवं पुनर्वास नीति बनाने हेतु राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया गया है।

खेलकूद

115. खेलों के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में बजट प्रावधानों में सतत रुप से वृद्धि की गई है। खेलकूद के क्षेत्र के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 126 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹104 करोड़ से 21 प्रतिशत अधिक है। हमारी सकारात्मक पहल के फलस्वरुप वर्ष 2012-13 में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1,586 पदक अर्जित किए जाकर प्रदेश को गौरवान्वित किया गया है।

116. ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013-14 से नवीन योजना ओलंपिक-2020 प्रारंभ की जा रही है जिसके तहत वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट एवं शूटिंग खेलों को चिन्हांकित किया गया है। इसमें न्यूनतम 9 वर्ष की आयु से प्रतिभावान बालकों एवं बालिकाओं का चयन कर उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

117. प्रदेश के 15 शहरों में हाकी एस्ट्रोटर्फ के निर्माण का निर्णय लिया जाकर वर्ष 2013-14 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

118. उच्च स्तरीय तीरंदाजी प्रशिक्षण हेतु जबलपुर में "एकलव्य तीरंदाजी अकादमी" की स्थापना के लिए वर्ष 2013-14 में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

पर्यटन

119. हमारा प्रदेश विविधतापूर्ण आकर्षणों एवं समृद्ध विरासत के कारण पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। पर्यटन न केवल सांस्कृतिक एवं सामुदायिक विकास में महत्वूपूर्ण भूमिका अदा करता है अपितु इसके माध्यम से आर्थिक उन्नति एवं रोजगार के अवसर भी निर्मित होते हैं। इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा जाकर पर्यटन अधोसंरचना एवं पर्यटक सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं। वर्ष 2012 में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वर्ष 2013-14 में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए ₹ 158 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2003-04 में प्रावधानित राशि ₹ 27 करोड़ का 6 गुना है।

120. पर्यटन विकास के लिए अच्छी अधोसंरचना एवं समुचित आवागमन की सुविधा पहली शर्त होती है। इसी के मद्देनजर पर्यटन परिपथों के विकास तथा पहुंच मार्गों एवं आंतरिक मार्गों के उन्नयन हेतु इस वर्ष ₹ 19 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रत्येक जिले के पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु ₹ 11 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

संस्कृति

121. प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में हमारी सरकार सदैव तत्पर रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013-14 में संस्कृति विभाग के लिए ₹141 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 के प्रावधान ₹ 115 करोड़ से 22 प्रतिशत अधिक है।

122. सांची में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार एवं अनुशासन के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं तथा एशियाई विचारों के परस्पर संबंध, विकास और विस्तार के अध्ययन केन्द्र के रूप में ''सांची बौद्ध भारतीय-ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय'' की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

123. हमारी सरकार ने भारत भवन में रंगमंडल की पुर्नस्थापना एवं मुरैना में ''अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केन्द्र'' की स्थापना का निर्णय लिया है। स्वामी विवेकानंद की 150वें जन्म वर्ष समारोह के आयोजन के लिए ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

<u>कानून व्यवस्था</u>

124. हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दृढ़संकल्पित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल के लिए वर्ष 2013-14 में ₹3,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2012-13 में प्रावधानित ₹2,893 करोड़ की तुलना में 37% अधिक है।

125. पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2004 से अभी तक की अवधि में कुल 23,360 पद स्वीकृत किये गए हैं जबकि वर्ष 1992-93 से 2002-03 की अवधि में मात्र 7,908 पद निर्मित किये गए थे।

126. महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन महिला अपराध शाखा गठित की गई है। इसके अंतर्गत 500 नवीन पद एवं वर्ष 2013-14 में ₹ 23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

127. पुलिस बल सदस्यों के कल्याण तथा समय के साथ नई चुनौतियों के दायित्वपूर्ण निर्वहन हेतु पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना, सामुदायिक पुलिस एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा पर्यटन पुलिस, राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा, केन्द्रीकृत पुलिस काल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र, स्वचालित अंगुल चिन्ह व्यवस्था आदि नवीन योजनाओं को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इनके लिए वर्ष 2013-14 में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन

128. न्यायालयीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण तथा समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने 52 नये जिला एवं सत्र न्यायालय तथा 86 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय की स्थापना हेतु स्टाफ सहित कुल 1,208 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 29 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

129. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

130. माध्यस्थम अधिकरण में नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं की फीस ₹ 5,000/- प्रति प्रकरण को 4 गुना बढ़ाकर ₹ 20,000/- प्रति प्रकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रशासनिक सुधार

131. पिछले कई वर्षों से शासन द्वारा जनवरी माह से क्रय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। वर्ष 2012-13 में क्रय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही लगाया है यह हमारी राज्य की बेहतर एवं नियंत्रित वित्तीय स्थिति का प्रमाण है।

132. हमारी सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवारों तथा घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता ₹ 10,000/- से बढ़ाकर ₹ 15,000/- तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 7,500/- करने का निर्णय लिया है।

133. प्रदेश के 50 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 23,006 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को देय मासिक मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

134. ग्राम पंचायतों के पंचों को जिन्हें अभी तक कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा था उन्हें भी प्रथम बार मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारी कल्याण

135. हमारी सरकार द्वारा अपने वादे के अनुरूप कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र सरकार की भांति 72 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। हमने पुलिस बल के प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों को प्रतिवर्ष ₹ 725/- किट एलाउन्स दिए जाने का निर्णय लिया है।

136. हमने अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक में क्रमशः ₹ 300/-, ₹ 400/- एवं ₹ 500/- प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि के पश्चात अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक कमशः ₹ 1,000/-, ₹ 2,000/- एवं ₹ 2,500/- प्रतिमाह हो जायेंगे।

137. सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में भी कार्यरत अंशकालिक सफाईकर्मियों के मानदेय में ₹ 200/- प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए ₹ 1,000/- प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है।

138. अध्यापक संवर्ग का वेतन पुनरीक्षण अप्रैल, 2013 से किया जाकर वेतन बैंड एवं संवर्ग वेतन की संरचना लागू की जाएगी। इससे सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के वेतन में लगभग क्रमशः ₹ 2,300/-, ₹ 3,000/- एवं ₹ 3,500/- प्रतिमाह की वृद्धि होगी।

139. हमारी सरकार द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों की पेंशन का पुनरीक्षण पांचवे वेतनमान के अनुरूप अप्रैल, 2010 से किए जाने एवं देय एरिअर्स की राशि पांच समान किस्तों में दिए जाने की सहमति दी गई है।

140. दैनिक वेतनभोगियों के लिए कार्य शर्तें नियम बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इन नियमों में दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त 10 वर्ष से अधिक एवं 20 वर्ष तक की कार्य अवधि के लिए वर्तमान में प्राप्त हो रहे विशेष भत्ते की दर ₹ 500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 1,000/- प्रतिमाह एवं 20 वर्ष से अधिक कार्य अवधि के लिए ₹ 1,000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 2,000/- प्रतिमाह तथा कार्य समाप्ति पश्चात

₹ 1 लाख की अधिकतम सीमा में उपदान के भुगतान का भी प्रावधान किया जाएगा। साथ ही पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम की सदस्यता लेने पर दैनिक मजदूरी के 10 प्रतिशत के अंशदान के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा भी दी जाएगी।

पुनरीक्षित अनुमान 2012-13

141. पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 71,728 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 65,308 करोड़ है। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹48,721 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 33,540 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 6,420 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 10,435 करोड़ है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.90% होने से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये निर्धारित 3% की सीमा से कम है।

बजट अनुमान 2013-14

राजस्व प्राप्तियां

142. वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 79,603 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां ₹ 33,381 करोड़, करेतर राजस्व प्राप्तियां ₹ 7,583 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां ₹23,694 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 64,658 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 14,945 करोड़ अनुमानित है।

143. केन्द्र से राज्यों को उनकी संचित निधि के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सहायता के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को सीधे लगभग ₹ 12,025 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध होना अनुमानित है। यह धनराशि लोक वित्त का अंश है परंतु राज्य के शासकीय लेखे का भाग नहीं है।

आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय

144. वर्ष 2013-14 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान ₹ 37,608 करोड़ है जिसमें राज्य आयोजना अंतर्गत ₹ 32,064 करोड़ का प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये ₹ 6,907 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये ₹ 4,890 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित आयोजना व्यय कुल व्यय का 40.90% है। आयोजना अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ₹ 14,046 करोड़ प्रस्तावित है। आयोजनेतर व्यय का अनुमान ₹ 54,339 करोड़ है।

145. मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2003-04 में जहां वेतन एवं पेंशन पर कुल ₹ 5,968 करोड़ का व्यय हुआ था, वहीं वर्ष 2013-14 में इन मदों में कुल ₹ 28,492 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

146. कुशल ऋण प्रबंधन के परिणाम स्वरूप कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य के ब्याज भुगतान के दायित्वों में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2012-13 में बजट अनुमान अनुसार जहां कुल ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियों का 8.98% था, वहीं वर्ष 2013-14 में यह 8.19% रहना अनुमानित है।

शुद्ध लेन-देन

147. वर्ष 2013-14 की कुल प्राप्तियां ₹ 92,019.10 करोड़ तथा कुल व्यय ₹ 91,946.86 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन धनात्मक ₹ 72.24 करोड़ एवं अंतिम शेष ऋणात्मक ₹ 123.09 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

148. कुल राजस्व व्यय ₹ 74,388 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 79,603 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य ₹ 5,215 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार आगामी वर्ष में राजस्व आधिक्य की स्थिति निरंतर रहने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹ 12,218 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% अनुमानित है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में है।

भाग-दो

अध्यक्ष महोदय,

अब मेरे इरादों पर, आँधियों को हैरत है,
एक चिराग बुझता है, सौ चिराग जलते हैं।

कर प्रशासन

हमारी सरकार कर प्रशासन को पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनाकर करदाताओं के सहयोग से कर राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि करने में सफल रही है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2003-04 में ₹ 6,805 करोड़ था जो वर्ष 2011-12 में चार गुना बढ़कर ₹ 26,973 करोड़ हो गया। कर प्रशासन को सुविधाजनक तथा पारदर्शी बनाने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रशासित कराधान प्रणालियों के कम्प्यूटरीकरण के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। पिछले वर्ष में लगभग 17 लाख घोषणा पत्रों की तुलना में इस वर्ष लगभग 22 लाख घोषणा पत्र डाउनलोड किए गए हैं। इसी तरह पिछले वर्ष प्रस्तुत लगभग दो लाख इलेक्ट्रानिक रिटर्न की तुलना में इस वर्ष लगभग पॉच लाख इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत किए गये हैं। साथ ही वर्ष 2011-12 में लगभग 85 प्रतिशत व्यवसाईयों द्वारा स्व-करनिर्धारण की सुविधा का लाभ लिया गया है।

3. कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के उन्नयन एवं उसके माध्यम से निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित है :-

(a) व्यवसाईयों द्वारा डाउनलोड किए गए घोषणा पत्रों की सूचना एस.एम.एस. से दी जा रही है। इसका विस्तार कर घोषणा पत्रों की संख्या की सीमा में परिवर्तन,

घोषणा-पत्रों के आवेदनों पर लिए गए निर्णयों की सूचना भी एस.एम.एस./ई-मेल से देना प्रस्तावित है।

(b) करदाताओं को उनसे संबंधित अद्यतन विभागीय जानकारी वेब पोर्टल पर डीलर प्रोफाईल के रूप में उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत जमा कर, स्त्रोत पर कर कटौती, जारी घोषणा पत्र आदि की जानकारी उपलब्ध होगी।

(c) कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र और आदेश को ई-मेल से करदाताओं को भेजने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

(d) स्व-करनिर्धारण के प्रकरणों में प्रकरण स्व-करनिर्धारित हो जाने संबंधी सूचना देना प्रस्तावित है।

(e) नियमित रूप से कर का भुगतान तथा विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यवसाईयों को बिना किसी सीमा एवं पूर्व अनुमोदन के घोषणा पत्र प्राप्त करने की सुविधा देना प्रस्तावित है।

(f) वर्तमान में राज्य के बाहर से आकर अन्य राज्य को जाने वाले कन्साईनमेंट सहित वाहनों द्वारा जांच चौकी पर आवेदन देकर ट्रांजिट पास प्राप्त करने की व्यवस्था है। अब ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर ऑनलाईन ट्रांजिट पास प्राप्त करने की सुविधा देना प्रस्तावित है।

4. व्यवसाईयों को वाणिज्यिक करों के भुगतान की सुविधा विभागीय वेबसाइट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। अब अन्य प्रमुख बैंकों के माध्यम से भी इस सुविधा का विस्तार किया जायेगा।

5. इलेक्ट्रानिक रूप में डिजीटल हस्ताक्षर सहित रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति में रिटर्न सत्यापन प्ररूप प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता समाप्त करना प्रस्तावित है।

6. इस वर्ष में ₹ 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाईयों के लिए ही इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। फिर भी लगभग 45,000 व्यवसाईयों, जिनका टर्नओवर ₹ 2 करोड़ से कम था, ने स्वेच्छा से इलेक्ट्रानिक रिटर्न जमा किए हैं। आगामी वर्ष में ₹ 1 करोड़ से अधिक वार्षिक विक्रय वाले व्यवसाईयों द्वारा इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य करना प्रस्तावित है।

7. रिटर्न के साथ टिनवार ₹ 40 हजार से अधिक के त्रैमासिक क्रयविक्रय का विवरण आवश्यक करना प्रस्तावित है, जिससे इनपुट टैक्स का सत्यापन कर वेट रिफन्ड शीघ्र दिया जा सके।

8. कर के भुगतान सहित रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु त्रैमास समाप्ति से 30 दिवस का समय निश्चित है। ₹ 2 करोड़ तक वार्षिक विक्रय वाले छोटे व्यवसाईयों को सुविधा देने हेतु कर का भुगतान एवं मैन्युअल रिटर्न की अंतिम तिथि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रखते हुए, इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु 20 दिन का अतिरिक्त समय देना प्रस्तावित है।

9. इसके अलावा प्रदेश के बाहर से आने वाले तथा ट्रांस-शिपमेंट होकर अन्य राज्यों को जाने वाले कन्साईनमेंट के लिए वेट अधिनियम में आवश्यक प्रावधान करते हुये राज्य से माल के परिवहन हेतु 15 दिवस का समय देना प्रस्तावित है। ऐसे ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांस-शिपमेंट का कार्य करते हैं, उनको ऑनलाईन इनरोलमेंट एवं वाहन संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा होगी।

10. वर्तमान में क्रय किए गए माल पर देय कर के कोषालय में जमा होने पर ही इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 में की गई है। इस संबंध में व्यवसाईयों द्वारा व्यवहारिक शंकाएं तथा कठिनाईयां व्यक्त की गई हैं।

पंजीकृत विक्रेता से माल खरीदते समय व्यवसाई यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि विक्रेता वेट का सही-सही भुगतान शासन को करेगा। अतः इस संबंध में समुचित संशोधन कर केवल असाधारण परिस्थिति में ही पंजीकृत विक्रेता से खरीदे गये माल पर इनपुट टैक्स रिबेट अस्वीकार करने हेतु वेट अधिनियम में प्रावधान किया जायेगा।

11. वर्तमान में ₹ 60 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसाईयों को प्रशमन (कम्पोजिशन) की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा ₹ एक करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसाईयों को भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

12. प्रशमन का विकल्प लेने वाले व्यवसाईयों को ऑनलाईन विकल्प/विवरण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है।

13. वर्तमान में ठेकेदार द्वारा प्रशमन का विकल्प लिए जाने पर इसका लाभ उप-ठेकेदार को भी प्राप्त है। इसी के अनुरूप उप-ठेकेदार द्वारा प्रशमन का विकल्प लेने पर इसका लाभ ठेकेदार को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

<u>वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.)</u>

14. जी.एस.टी. प्रणाली के लिये आवश्यक उपबंध करने हेतु केन्द्र सरकार ने एक सौ पन्द्रहवां संविधान (संशोधन) विधेयक, जनवरी, 2011 में लोकसभा में पुरःस्थापित किया है जो संसद की वित्तीय मामलों की स्थाई समिति के समक्ष विचाराधीन है। मैंने पिछले दो बजट भाषणों में इस प्रणाली के लिये प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था तथा कर ढांचे पर राज्य सरकार की आशंकाओं से इस सदन को अवगत कराया था। संसद की वित्तीय मामलों की स्थाई समिति के समक्ष भी राज्य सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

15. हमारी सरकार अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के पक्ष में है परन्तु केन्द्र सरकार ऐसे सुधार के नाम पर संविधान में राज्यों के लिये आरक्षित कराधान के विषयों में

अपनी हिस्सेदारी तथा नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है। प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्गत राज्य की वित्तीय स्वायत्ता समाप्त होने से संविधान के मूलभूत ढांचे को गंभीर आघात पहुंचेगा। कराधान संबधी विधायी कृत्य किसी कार्यकारी निकाय को नहीं सौंपे जा सकते हैं।

16. सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर करारोपण से राज्यों का प्राप्त होने वाले अतिरिक्त कराधार का अनुमान सेवा कर के रूप में प्राप्त कर राजस्व पर आधारित है। लगभग 80 प्रतिशत कर योग्य सेवाओं का उपयोग इनपुट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में होता है। वर्ष 2004-05 से कर योग्य सेवाओं का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग में होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग के विरूद्ध सेवा कर का समायोजन किया जाता है। समायोजन की इस व्यवस्था, जिसे सेनवेट क्रेडिट कहते हैं, के कारण सेवा कर संग्रहण में वृद्धि के फलस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हो जाती है। हमारे अनुमान के अनुसार लगभग दो तिहाई करयोग्य सेवाओं का उपयोग इनपुट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अतः सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के करारोपण से राज्यों को प्राप्त होने वाला अतिरिक्त कराधार सीमित रहेगा।

17. इस वर्ष सेवा कर के दायरे में विस्तार तथा इसकी दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के बावजूद कर संग्रहण में मात्र 32 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इससे हमारी इस आशंका की पुष्टि हुई है कि जी.एस.टी. प्रणाली अंतर्गत सेवा क्षेत्र के करारोपण से राज्यों को उपलब्ध अतिरिक्त कराधार अत्यंत सीमित रहेगा।

18. जी.एस.टी. प्रणाली अंतर्गत कर की जो दरें केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं, उनसे राज्य को राजस्व की बड़ी हानि होगी। केन्द्र सरकार चाहती है कि राज्य की अन्य कर प्रणालियों यथा मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, विद्युत शुल्क को भी शीघ्र ही जी.एस.टी.

में शामिल किया जाये। इससे राज्यों के लिये आरक्षित कराधान के शेष विषयों में भी केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी व नियंत्रण हो जाएगा तथा राज्यों की राजस्व हानि में वृद्धि होगी। परन्तु आम आदमी पर कर का बोझ बढ़ेगा तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं महंगी होंगी।

19. सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर केन्द्र द्वारा अधिरोपित कर के संग्रहण हेतु राज्यों को अधिकृत करने के लिये संविधान (अट्ठासींवा संशोधन) अधिनियम में प्रावधान है परन्तु इसके क्रियान्वयन में जानबूझकर देरी की गई है।

20. केन्द्र सरकार द्वारा 1 जून, 2012 से कतिपय चिन्हांकित सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर सेवा कर का अधिरोपण किया गया है। राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सूची की प्रविष्टि क्रमांक 54, 55, 56 तथा 62 के अनुसार सेवा क्षेत्र की जिन गतिविधियों पर राज्य सरकारों को करारोपण के अधिकार प्राप्त हैं, उन पर केन्द्र द्वारा सेवा कर का असंवैधानिक अधिरोपण न किया जाये। इसी के साथ राज्य के वित्त मंत्रियों ने केन्द्र सरकार से यह मांग भी की थी कि उसके द्वारा ऐसी गतिविधियों एवं घटनाओं पर पहले से किये जा रहे करारोपण को भी बंद किया जाये जो मनोरंजन कर, विलासिता कर एवं भूमि तथा भवन पर कर राज्य के क्षेत्राधिकार में है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से किये गये आग्रह को संघीय भावना तथा संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत केन्द्र सरकार ने नजरअंदाज किया है।

21. राज्य वित्त मंत्रियों का एक दल जी.एस.टी. प्रणाली के अध्ययन हेतु सितम्बर, 2012 में कनाडा तथा जापान भ्रमण पर गया था। कनाडा में दो अलग-अलग एजेंसियों द्वारा एक ही कर प्रणाली अंतर्गत एक ही करदाता समूह से कर संग्रहण करने के स्थान पर एक ही एजेंसी द्वारा कर संग्रहण का कार्य किया जाता है। परन्तु हमारे यहां प्रस्तावित

संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों की एजेंसियों द्वारा कर संग्रहण किया जाएगा। कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलम्बिया में हुये जनमत संग्रह में जनता ने विक्रय कर के स्थान पर जी.एस.टी. प्रणाली लागू किये जाने के राज्य सरकार के निर्णय को नामंजूर किया है।

22. संघीय व्यवस्था अंतर्गत सरकारें एक दूसरे की गतिविधियों, राजस्व तथा सम्पत्तियों पर करारोपण नहीं करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 289 अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व आय तथा सम्पत्तियों को केन्द्रीय करारोपण से छूट प्राप्त है। परन्तु अब केन्द्र सरकार द्वारा राज्य पुलिस बल द्वारा संस्थाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने पर सेवा कर की मांग की जा रही है।

23. राज्य के कराधान संबंधी वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये यह सरकार दृढ़संकल्प है। इस हेतु आवश्यक सभी वैधानिक प्रयास किये जाएंगे।

कराधान प्रस्ताव

24. कर प्रशासन को पारदर्शी तथा औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति को अधिक आकर्षक बनाकर हमें पूंजीनिवेश को राज्य में आकर्षित करने तथा चालू उद्योगों को व्यवसायिक दृष्टि से सक्षम बनाने में सफलता मिली है। दुर्भाग्यवश विगत 2 वर्षो में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक परिदृष्य में इस गिरावट के कारण आटोमोबाईल तथा इसके कलपुर्जो के निर्माण करने वाली राज्य की इकाईयों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। रोजगार निर्माण की दृष्टि से ऑटोमोबाईल सेक्टर महत्वपूर्ण है।

25. टेक्सटाईल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का विशिष्ट स्थान रहा है। रोजगार निर्माण की दृष्टि से टेक्सटाईल उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। विगत कुछ वर्षो में इस क्षेत्र में पूंजीनिवेश आकर्षित करने में हमें सफलता मिली है। इस क्षेत्र में प्रदेश को और अधिक

प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये हमारी सरकार ने टेक्स्टाईल क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिये अतिरिक्त सुविधाएं भी देने का निर्णय लिया है।

वेट

26. ऑटोमोबाईल उद्योग द्वारा निर्मित माल को राज्य के बाहर अंतरण करने पर, कच्चे माल के स्थानीय क्रय पर 4 प्रतिशत वेट का भार है। निर्मित कपड़ा करमुक्त होने से इसके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के स्थानीय क्रय पर भी 4 प्रतिशत वेट का भार है। परन्तु इसी कच्चे माल की अंतर्राज्यीय खरीदी पर कर का भार मात्र 2 प्रतिशत है। अतः कठिन आर्थिक परिदृष्य में उद्योग प्रदेश में निर्मित कम्पोनेन्ट्स/इनपुट्स के स्थान पर राज्य के बाहर से खरीदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इससे राज्य के सहायक उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः ऑटोमोबाईल तथा टेक्सटाईल निर्माण में प्रयुक्त कम्पोनेन्ट तथा कच्चे माल के स्थानीय क्रय पर आंशिक आगत कर रिबेट का रिटेन्शन 4 से कम कर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 30 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

27. वर्तमान में ऑटोमोबाईल निर्माण में प्रयुक्त कम्पोनेन्ट पर वेट दर 13 प्रतिशत है। निर्मित ऑटोमोबाईल के स्थानीय/अंतर्राज्यीय/निर्यात विक्रय पर पूर्ण रिबेट तथा राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर की स्थिति में इन कम्पोनेन्ट्स की स्थानीय खरीदी पर वेट की प्रभावी दर 4 प्रतिशत है। अतः कम्पोनेन्ट्स के स्थानीय खरीदी पर देय वेट का पूर्ण समायोजन निर्मित माल पर देय कर के विरूद्ध नहीं हो पाता है। इससे उद्योग की कार्यशील पूंजी अवरूद्ध होती है। अतः ऐसे कम्पोनेन्ट्स, जिनका मुख्यतः ऑटोमोबाईल के निर्माण में उपयोग होता है, को इण्डस्ट्रीयल इनपुट के रूप में अधिसूचित करते हुए उन पर वेट की दर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

28. निम्न वस्तुओं को करमुक्त करना प्रस्तावित है :-

(a) रोटावेटर

(b) प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्तओं को उपलब्ध कराए जाने वाले विद्युत खपत मीटर के रेन्ट को 1 अप्रैल, 2006 से वेट से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

29. वेट की दरों के युक्तियुक्तकरण के क्रम को जारी रखते हुये निम्न वस्तुओं पर वेट की दर 13 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है :-

(a) प्रि-फेब्रीकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, बार्बेड वायर, वायर वेल्डेड मेस, चेन लिंक

(b) मिल्किंग मशीन

(c) ऑक्सीजन

(d) नेफ्था, इमल्सीफाइड बिटुमिन

(e) टॉफी, लाजेन्जेस, कैण्डी और पिपरमेन्ट ड्राप्स, जिनका विक्रय मूल्य ₹ 100/- प्रति किलो से अधिक न हो

(f) सभी प्रकार के नमकीन

30. सरसों, सोयाबीन, तिली के संबंध में स्त्रोत पर कटौती के प्रावधान लागू हैं। इसी अनुक्रम में महुआ बीज को भी इस व्यवस्था अंतर्गत लाना प्रस्तावित है।

31. करमुक्त सोया डी.ओ.सी., काकड़ा खली के निर्माण में उपयोग किए गए तिलहन पर पूर्ण रिबेट की व्यवस्था की गई है। सरसो खली करमुक्त होने से इसके निर्माण में उपयोग किए गए तिलहन पर 4 प्रतिशत कर का भार है। अतः सरसो खली के निर्माण में उपयोग किए गए तिलहन पर भी पूर्ण आगत कर रिबेट देना प्रस्तावित है।

32. मैन्युफैक्चरिंग में नेचुरल गैस के ईंधन के रूप में उपयोग पर आंशिक आगत कर रिबेट के कारण वेट की प्रभावी दर 5 प्रतिशत है। अब पूरा आगत कर रिबेट देना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹10 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

33. रेत, गिट्टी के विक्रय पर घनफल के आधार पर कर आरोपित किया गया है किन्तु क्रय किए गए रेत, गिट्टी के अन्य माल के निर्माण में उपयोग करने पर कोई रिबेट की व्यवस्था नहीं है, जिससे दोहरे करारोपण की स्थिति बनती है। अतः रेत, गिट्टी पर चुकाए गए कर के रिबेट की सुविधा देना प्रस्तावित है।

34. विनिर्माण उद्योगों में निर्मित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय या राज्य के बाहर अंतरण होने पर, कच्चे माल पर चुकाये गये वेट का पूरी तरह से समायोजन न होने से वापसी की स्थिति निर्मित होती है। इससे भी उद्योगों की कार्यशील पूंजी अवरूद्ध होती है। अतः इनपुट टैक्स रिबेट के असमायोजित आधिक्य की 75 प्रतिशत की अग्रिम वापसी बैंक गारंटी के विरूद्ध करना प्रस्तावित है।

35. निर्माण सामग्री पर देय वेट के कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट प्रस्ताव अंतर्गत एक अप्रैल, 2011 से राज्य में भवन निर्माताओं द्वारा भवन निर्माण कर विक्रय करने पर करारोपण किया गया था। इसके अंतर्गत भवन निर्माण में प्रयुक्त मालों पर चुकाए गए वेट के रिबेट की व्यवस्था है। यह व्यवस्था पहली बार लागू होने से कतिपय भवन निर्माताओं द्वारा विहित समयावधि मे इनरोलमेन्ट नहीं कराया गया है। इसके कारण उन्हें भवन निर्माण में उपयोग की गई निर्माण सामग्री पर चुकाए गए वेट के रिबेट की सुविधा प्राप्त नहीं होने से दोहरे करारोपण की स्थिति बन रही है। ऐसे भवन निर्माताओं को राहत हेतु प्रस्तावित है कि उनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2013 तक नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, उन्हें प्रारंभ से ही रिबेट की सुविधा दी जाए।

प्रवेश कर

36. वर्ष 2012-13 के बजट प्रस्ताव अंतर्गत राज्यों के उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये कतिपय उद्योगों को प्रवेश कर से छूट प्राप्त थी। इस छूट को अगले वर्ष भी निरन्तर रखना प्रस्तावित है।

37. वर्ष 2012-13 के बजट प्रस्ताव अंतर्गत प्रवेश कर के कर ढांचे को वेट के कर ढांचे के समरूप किया गया है। इससे प्लान्ट एवं मशीनरी पर प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो गई है। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये उपयोग हेतु क्रय किये जाने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी पर प्रवेश कर का भार 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 30 करोड़ राजस्व हानि संभावित है।

38. वर्ष 2012-13 के बजट प्रस्ताव अंतर्गत इंजीनियंरिंग उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये मैन्यूफैक्चरिंग में खपत होने वाले मेटल कास्टिंग, फेरस तथा नॉन फेरस मेटल एवं एलॉय, आयरन एवं स्टील को प्रवेश कर से छूट दी गई है। इन मेटल्स के उत्पाद जैसे इनगॉट, शीट, वायर राड, वायर आदि का भी कच्चे माल के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होता है। अतः इन उत्पादों को भी मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने पर प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से लगभग ₹ 1 करोड़. वार्षिक राजस्व हानि संभावित है।

39. उद्योगों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग हेतु खरीदे गए लोहा तथा इस्पात को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है। यह सुविधा लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा भी लघु उद्योगों को लोहा तथा इस्पात का प्रदाय किया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी को भी प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित है।

40. रसोई गैस की कीमत में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही वृद्धि के कारण गृहणियां राज्य सरकार से राहत की अपेक्षा कर रही हैं। बढ़ती महंगाई में घर खर्च चलाने की मजबूरियों से हम वाकिफ हैं। अतः घर खर्च में गृहणियों को राहत देने के लिये रसोई गैस (एल.पी.जी.-घरेलू) पर प्रवेश कर की दर 6.47 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 80 करोड़ राजस्व हानि अनुमानित है।

मनोरंजन कर

41. स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा अपने नियमित सदस्यों हेतु आयोजित खेल गतिविधियों एवं अम्यूजमेन्ट पार्क तथा थीम पार्क की गतिविधियों पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है। इसे घटाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे ₹ 1 करोड राजस्व हानि अनुमानित है।

42. निम्न गतिविधियों को 1 अप्रैल, 2011 से मनोरंजन कर से मुक्त करना प्रस्तावित है :-

(a) पुरातात्विक एवं एतिहासिक महत्व के स्थल, भवन तथा संग्राहालय की गतिविधियों

(b) प्राणी एवं वनस्पति उद्यान वन्य प्राणी हेतु संचालित संरक्षित क्षेत्रों में आयोजित गतिविधियां

43. पिछले वर्ष पुराने सिनेमा घर जो कि 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व से स्थापित हैं एवं जिनकी टिकिट ₹ 50 या उससे कम है एवं गैर वातानुकूलित हैं उन्हें मनोरंजन कर से छूट दी गई थी। अब यह छूट नगर निगम सीमा के बाहर ऐसे वातानुकूलित सिनेमाघरों को भी देना प्रस्तावित है।

पंजीयन व मुद्रांक शुल्क

44. लघु उद्यमियों को वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने पर होने वाले ट्रांजेक्शन कास्ट कम करने की दृष्टि से हाईपोथिकेशन के करारों पर स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार प्रभारित किया जाना प्रस्तावित है :-

(a) जहां प्रतिभूत रकम एक लाख रूपये से अधिक न हो - ₹ 100/-

(b) जहां प्रतिभूत रकम एक लाख रूपये से अधिक हो तथा वह तीन माह से कम अथवा इससे अधिक अवधि पर प्रतिसंदेय हो- अधिकतम ₹ 2 लाख के अध्यधीन रहते हुये प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत।

45. भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1- क के अनुच्छेद 5 (ड़) (दो) अनुसार अचल सम्पत्ति के ऐसे विक्रय-करार, जिनमें सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता, में अनुबंध-पत्र में दर्शित कुल प्रतिफल राशि अनुसार एक प्रतिशत की दर से स्टॉम्प शुल्क देय है। बिना कब्जे के अनुबंध-पत्रों पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अत्यधिक होने के कारण पंजीबद्ध अनुबंध-पत्रों की संख्या नगण्य है। अतः कब्जा रहित अनुबंध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर ₹1000/- करना प्रस्तावित है।

करारोपण

46. प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने तथा उद्योगों को व्यवसायिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये हमारी सरकार ने करों में विशेष रियायतें दी हैं। कृषि का उत्पादन बढ़ाने तथा इसे लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये भी हम प्रयासरत हैं। इस हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये निम्न उपाय प्रस्तावित हैं :-

(a) गेहूँ पर लागू क्रय कर की व्यवस्था धान पर भी लागू करना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 50 करोड़ का राजस्व अनुमानित है। इसका भार किसानों पर नहीं आएगा।

(b) वर्तमान में केवल बार से मदिरा विक्रय पर ही वेट देय है। अब देशी एवं विदेशी मदिरा के समस्त विक्रयों पर 5 प्रतिशत की दर से वेट लगाना प्रस्तावित है। इससे लगभग ₹ 120 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

47. समग्र रूप से उपरोक्त करों में दी गई रियायतों से लगभग 170 करोड़ राजस्व हानि तथा अतिरिक्त करारोपण से लगभग इतना ही अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है।

वर्ष 2013-14 का बजट आपके सामने है। बजट बनाना दुष्कर कार्य है, चुनौती पूर्ण है। वर्ष 2004-05 के बजट के समय भी चुनौती थी और आज वर्ष 2013-14 के समय भी है। वर्ष 2004-05 में प्रदेश को बीमारूपन से बाहर निकालने की चुनौती थी और आज जनता में जब अभूतपूर्व विश्वास जगा है तो हर वर्ग की आशाओं और अपेक्षाओं में ज्वार आने के कारण चुनौती है।

इस अवधि में हमने पड़ाव दर पड़ाव फतेह किये हैं किन्तु मंजिल अभी भी दूर है। मंजिल है अपने इस मध्यप्रदेश को पूरे देश के सभी प्रदेशों में सिरमौर बनाने की। मंजिल कठिन है किंतु असंभव नहीं।

आरजू जीने की है तो जी चट्टान की तरह,
वर्ना पत्ते की तरह तुझको हवा ले जायेगी।

मंजिल पर पहुँचने तक 'चरैवेति, चरैवेति'।

इस बजट भाषण का समापन राष्ट्रनायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की निम्न पंक्तियों से श्रद्धासुमन अर्पण के साथ कर रहा हूँ।

है ध्येय दूर, संसार क्रूर, मदमत्त चूर,
पथ भरा शूल, जीवन दुकूल,
जननी के पग की तनिक धूल,
माथे पर लेकर चल दिये हम मदमाते।
देखो हम बढ़ते जाते।

।।जय भारत जय मध्यप्रदेश।।